...णा करवानें बाबत राजस्व वाद अन्तर्गत धारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,53,207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते घोषणा,रेकर्ड दुरस्ती,विभाजन एंव पानें स्थायी निषेधाज्ञा इस न्यायालय में दिनांक 25.02.2026 को जरिये अधिवकक्ता श्री कंवराज बैनिवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एंव इस न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/2026/248 दिनांक 08.04.2026 द्वारा विस्तृत तथ्यात्मक मौका जांच रिर्पोट चाही गई। जिस पर तहसीलदार रामसर के पत्रांक भूअ./2026/1319 दिनांक 07.05.2026 द्वारा प्रेषित मौका रिर्पोट दिनांक 08.05.2026 को इस न्यायालय को प्राप्त हुई। पत्रावली का अवलोकन किया ,बहस सुनी ,गहनता से मनन किया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री रविन्द्र कुमार गोदारा स्वंय उपस्थित होकर अपनी सहमती जाहिर की। प्रतिवादी संख्या 2 से 5 उपस्थित स्वंय उपस्थित होकर अपनी सहमती जाहिर की। प्रतिवादी संख्या 6 भूमिधारी होनें से औपचारिक रूप से संयोजित किया जाता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रामसर की अनुशंषा रिर्पोट के अनुसार राजस्व रेकर्ड में पूर्व अंकित तरमीम को निरस्त कर निम्न परिशिष्ठ ''अ'' अनुसार नक्शा शीट में तरमीम दुरस्त के आदेश पारित किये जाते है।

क्र सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	छुगाराम वल्द सुमरिया कौम मेघवाल सा. देह खातेदार	खियाला	164/158	0.7211	बा.सो.	0.02
			165/157	1.5229	बा.सो.	0.04
			2	**2.2440**	**बा.सो.**	**0.06**
2.	दलीप पुत्र जवरी लाल कौम सगरा सा. भोपालगढ	खियाला	162/157	1.1821	बा.सो.	0.04
			163/157	3.5472	बा.सो.	0.10
			165/158	0.9257	बा.सो.	0.03
			164/158	1.0770	बा.सो.	0.03
			04	**6.7320**	**बा.सो.**	**0.20**

सल्गंन परिशिष्ठ ''अ'' अनुसार नक्शा शीट इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नबर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय आज दिनांक 08.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर रामसर (वाड़मेर)

8/5/2026

(राम लाल मीणा)
सहायक कलक्टर रामसर

सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.05.21 16:41:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री राम लाल मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या –19 / 2026

उनवान

वादी	**प्रतिवादीगण**
डुंगाराम पुत्र सुमरिया जाति मेघवाल निवासी सुवाडा तहसील रामसर जिला बाडमेर राज।	1.दिलीप पुत्र जवरी लाल जाति सरगरा निवासी सरगरों का वास तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर। 2.किसनानाथ पुत्र रूमालनाथ जाति कालबेलिया निवासी सुवाडा तहसील रामसर 3.गेरीदेवी पत्नी चंदाराम 4.बाबु पुत्र गुणेशा 5.मोमती पत्नी गुणेशा जाति मेघवाल निवासी सुवाडा तहसील रामसर जिला बाडमेर 6.तहसीलदार एंव पदेन उप पंजीयक रामसर। रामसर जिला बाडमेर

सहायक कलक्टर रामसर (बाड़मेर)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,53,207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते घोषणा,रेकर्ड दुरस्ती,विभाजन एंव पानें स्थायी निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या 22 / 2025 **निर्णय** दिनांक :–08.05.2026.

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 से 5 की सयुंक्त खातेदारी खेत में मूल खसरा नंबर 157 / 78,158 / 78 रकबा क्रमशः 1.7838,7.1922 हैक्टेयर मौजा खियाला पटवार मण्डल इन्द्रोही तहसील रामसर जिला बाडमेर में आई हुई है। जिसमें वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खियाला पटवार मण्डल इन्द्रोही तहसील रामसर के खेत मूल खसरा नंबर 157 / 78,158 / 78 रकबा क्रमशः 1.7838,7.1922 हैक्टेयर से विभक्त खेत खसरा नंबर क्रमशः 162 / 157,164 / 158, रकबा क्रमशः 0.4459, 1.7981 हैक्टेयर भूमि वादी की खातेदारी में तथा खेत खसरा नंबर 163 / 157,165 / 158 रकबा क्रमशः1.3379,5.3941 हैक्टैयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की खोतेदारी में दर्ज है। मूल खेत खसरा नंबर 157 / 78,158 / 78 रकबा क्रमशः 1.7838,7.1922 हैक्टेयर भूमि का वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 से 5 द्वारा आपसी सहमती विभाजन दिनांक 30.01.2026 को करवाया गया था। जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 से 5 व अन्य भूमाफीया लोगों द्वारा राजस्व कर्मचारियों के साथ साठगांठ करके वादग्रस्त आराजी में उभय पक्षकारान के मध्य किये गये बाहमी बंटवाडें एंव वाग्रस्त आराजी की गुणवता को बगैर ध्यान में रखते हुये वादी का मौके पर बाहमी विभाजन के तहत वर्षों पुरानें कब्जा काश्त के विपरीत बिना सहमती विभाजन प्रस्ताव के संलग्न विभाजन का नक्शा तैयार करवाकर वादी के खातेदारी हिस्से की भूमि को वादग्रस्त आराजी में किये गये बाहमी बंटवाडें के तहत मौके पर विद्मान कबजे काश्त के विपरीत उबड खबड धोरों वाली भूमि दर्शाकर उच्च गुणवता वाली उपजाऊ समतल भूमि प्रतिवादी संख्या 2 से 5 व अन्य भूमाफीया लोगों नें सयुंक्त खातेदारी में दर्शाते हुऐ सहमती विभाजन प्रस्ताव के सलग्न नक्शा तैयार किया गया । वादी अनपढ एंव उम्र दराज हानें के कारण वादी को अंधेरे में रखकर सहमती विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवा लिये । एंव राजस्व रेकर्ड जमाबदी नक्शा शीट पर वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के मध्य विभाजन [illegible] तरमीम अंकित कर दी गई। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2 से 5 नें वादग्रस्त [illegible] किये गये सहमती विभाजन के तहत त्रूटिपूर्ण तरमीम की पृविष्टियों के आधार पर वादग्रस्त आराजी को बंधान प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में कर दिया गया। त्रूटिपूर्ण तरमीम की पृविष्टी को निरस्त करते हुये वादी की खातेदारी हिस्से की भूमि पर विधमान वर्षों पुरानें मौके एंव कब्जा काश्त अनुसार विभाजन करनें के लिये वर्तमान मौका स्थिति एंव वादी के कब्जे एंव काश्त के अनुसार सही तरमीम की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.05.21 16:41:00 IST
Reason: SelfAttested

8/5/2026
सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर

Scanned with OKEN Scanner